



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं. 39]	नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 21, 2019/माघ 1, 1940
No. 39]	NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 21, 2019/MAGHA 1, 1940

---

भारतीय रिज़र्व बैंक  
(विदेशी मुद्रा विभाग)  
(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 21 जनवरी, 2019

सं. फेमा. 22(आर)/(2)/2019-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में शाखा कार्यालय अथवा संपर्क कार्यालय अथवा परियोजना कार्यालय अथवा किसी प्रकार के कारोबारी स्थल की स्थापना) (संशोधन) विनियमावली, 2019

**सा.का.नि. 40(अ).**—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में शाखा कार्यालय अथवा संपर्क कार्यालय अथवा परियोजना कार्यालय अथवा किसी भी प्रकार के कारोबारी स्थल की स्थापना) विनियमावली, 2016 [दिनांक 31 मार्च 2016 को जारी अधिसूचना सं.फेमा. 22(आर)/आरबी-2016] में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

**1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ :-**

(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में शाखा कार्यालय अथवा संपर्क कार्यालय अथवा परियोजना कार्यालय अथवा किसी प्रकार के कारोबारी स्थल की स्थापना) (संशोधन) विनियमावली, 2019 कहलाएंगे।

(ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

**2. विनियम 5 में संशोधन**

विनियम 5 के खंड (सी) में, मौजूदा परंतुक के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"बशर्ते कि उन प्रस्तावों पर भारतीय रिज़र्व बैंक से अलग से अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं है, जिन्हें सरकारी अनुमोदन अथवा संबंधित मंत्रालय/विनियामक से लाइसेन्स/ अनुमति दी गई है। इसके अलावा, रक्षा क्षेत्र से संबंधित परियोजना कार्यालय खोलने के प्रस्ताव संबंधी उन मामलों में भारत सरकार से अलग से संदर्भ अथवा अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी, जहां संबंधित अनिवासी आवेदक को रक्षा मंत्रालय अथवा सर्विस हेडक्वार्टर अथवा रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम द्वारा कोई कांट्रैक्ट/करार प्रदान किया गया है / करारबद्ध किया गया है।"

[फा. सं. 16/13/EM/2014-Part-I]

आर. के. मूलचंदानी, मुख्य महाप्रबंधक

**पाद-टिप्पणी :** मूल विनियमावली 31 मार्च 2016 को सा.का.नि. सं. 384 (अ) भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया।

**RESERVE BANK OF INDIA**  
**(Foreign Exchange Department)**  
(CENTRAL OFFICE)

**NOTIFICATION**

Mumbai, the 21st January, 2019

**No. FEMA 22 (R)/(2)/2019-RB**

**Foreign Exchange Management (Establishment in India of a branch office or a liaison office or a project office or any other place of business) (Amendment) Regulations, 2019**

**G.S.R. 40(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section 6 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) the Reserve Bank of India makes the following amendment in the Foreign Exchange Management (Establishment in India of a branch office or a liaison office or a project office or any other place of business) Regulations, 2016 [Notification No. FEMA 22(R)/RB-2016 dated March 31, 2016], namely:

**1. Short Title & Commencement:-**

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Establishment in India of a branch office or a liaison office or a project office or any other place of business) (Amendment) Regulations, 2019.
- (ii) They shall come into force from the date of publication in the official Gazette.

**2. Amendment to Regulation 5**

In Regulation 5, in clause (c) for the existing proviso, the following shall be substituted namely:

“Provided that approval of the Reserve Bank of India is not required in case where Government approval or license/permission by the concerned Ministry/Regulator has already been granted. Further, in the case of proposal for opening a project office relating to defence sector, no separate reference or approval of Government of India shall be required if the said non-resident applicant has been awarded a contract by/entered into an agreement with the Ministry of Defence or Service Headquarters or Defence Public Sector Undertakings.”

[F. No. 16/13/EM/2014-Part-I]

R. K. MOOLCHANDANI, Chief General Manager

**Foot Note :** The Principal Regulations were published in the Official Gazette *vide* G.S.R. No. 384(E) dated March 31, 2016.